न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 133 / 2018

बउनवान

श्री धारा सिंह पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी हरिपुरा मजरा बरावदा तह. छीपाबडौद
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, कवाई जिला बारॉ
(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री दिलीप सिंह सिरोहिया अभिभाषक (अपीलांट)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 28.06.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ नायब तहसीलदार, कवाई के प्रकरण संख्या 168 / 2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 03.03.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम पाण्डुहेली की सरकारी भूमि किस्म बजंड सम्वत् 2073 में खसरा नम्बर 23 रकबा 0.80 व खसरा नम्बर 150 रकबा 0.80 हेक्टयर भूमि किता 2 रकबा 160 हेक्टयर पर फसल सरसों की बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 800 / – रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 25.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाब देही का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र गवाहो के अभाव मे, अपीलांट की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है। अपीलांट द्वारा सरकारी तावान भी जमा करवा दिया है, ओर ना ही सरकारी तावान बकाया नही है। अपीलांट को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.10.2018 को पुलिस तलाशने गांव में आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 23.10.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 23.10.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर, अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म बजंड पर फसल सरसों की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अपीलांट द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 638/2016 में पारित निर्णय दिनांक 25.10.2016 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अतिक्रमण नही करने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2073 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षो के तर्को का मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया ओर उसके बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी से कब्जा छोडने बाबत पटवारी हल्का की रिपोर्ट अथवा शपथ पत्र भी अपील के साथ संलग्न नही किया गया है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ नायब तहसीलदार, कवाई द्वारा प्रकरण संख्या 168/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 03.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां